U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh% Mk0 jkts'k 'kek] vkbZ-,-,l-

सूचना का अधिकार अपील संख्या 06/2020

vihykFkhZ	बनाम	**jLiksMsUVl**
जगदीश गहलोत निवासी– महिला मण्डल स्कूल के सामने, कुचीलपुरा, बीकानेर।		लोक सूचना अधिकारी अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.11.2020 लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर), कार्यालय हाजा

उपस्थितिः– श्री राजकुमार वर्मा, सहायक लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा।

fu.kZ;

fnukad tuojh]2021

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 02.11.2020 कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 05.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उनकी ओर से तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त निम्नलिखित सूचनाएं चाही गईः––

1. आप द्वारा माह अक्टूबर, 2020 मे कितने राजकीय विघालयों/ कार्यालयों/ संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। उनकी प्रमाणित सूचना दिनांक एवं विघालय/कार्यालय संस्थान के नाम सहित उपलब्ध करावें।

2. निरीक्षण के दौरान अनियमितता हेतु एवं अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध आपके द्वारा की गई कार्यवाही तथा सीसीए नियम 16 व 17 के तहत चार्जशीट जारी की गई या अन्य कोई कार्यवाही की गई है तो उसकी सूचना आपके कार्याग्रहण से लेकर सूचना दिये जाने तक की अवधि की उपलब्ध करावें।

3. आपके अधीनस्थ जिलों में कितने शिक्षक एवं कार्मिक अन्तर जिला एवं अन्तर संभाग प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है तथा अपने पदस्थापन्न स्थान से प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए वेतन आहरित कर रहे है कि सूचना/सूची उपलब्ध करावें।

4. आप द्वारा सम्भागीय आयुक्त के पद पर कार्यग्रहण पश्चात आज दिनांक तक कितनी बार स्वयं के कार्यालय का आंतरिक निरीक्षण किया गया, दिनांक वार सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

5. आपके कार्यालय का मूवमेन्ट रजिस्टर जुलाई, 2020 से आज दिनांक तक का सत्यापित कर उपलब्ध करावें।
6. आपके कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका माह दिसम्बर, 19 से मार्च, 20 तक एवं अक्टूबर,20 की उपस्थिति पंजिका सत्यापित कर उपलब्ध करावें।

उक्त सूचना अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होने का उल्लेख करते हुए यह अपील अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 11.12.2020 को प्रेषित की गई जिसे दिनांक दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 30.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी की संधारित पत्रावली तलब की गई एवं उनसे अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

अपीलान्ट आज सुनवाई दिनांक को कार्यालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा से प्राप्त टिप्पणी/मूल पत्रावली प्रेषित की। एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा उपस्थित हुए। उन्होंने यह कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक 126 दिनांक 15.01.2021 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी का आवेदन दिनांक 5.11.2020 को कार्यालय में प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर से सम्बन्धित शाखाओं से टिप्पणी प्राप्त की जिनके अनुसार सूचनाओं के बिन्दू संख्या 5 व 6 की उपस्थित पंजिका मय मूवमेन्ट रजिस्टर की कुल 39 पेज की सूचना रिपोर्ट होने बाबत अवगत कराया।

जिस पर प्रार्थी को इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 109 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया कि कुल 39 पेज की सूचना है, जिसकी प्रतिलिपि शुल्क 2/— रूपये के हिसाब से 78 रूपये बनते है, जमा करावें एवं उनकी आई.डी. भी चाही गई। लेकिन प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक वांछित राशि व आईडी प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में उसे सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। अतः उपरोक्त वस्तुस्थिती के अनुसार अपीलान्ट की यह अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है अतः अपील अस्वीकार की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचनओं/पत्रों की प्रतियॉ प्राप्त करने के लिये वांछित प्रतिलिपी शुल्क जमा करवाने एवं उनकी आईडी प्रस्तुत करने

हेतु जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र दिनांक 109 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा लिखा जाना प्रकट है परन्तु अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से ऐसी कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई और कार्यालय हाजा के अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह अपील प्रेषित करते हुए अनुतोष चाहा गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर हमारे मत में अपीलान्ट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार से कार्यालय हाजा में सम्पर्क नहीं किया है और नही वांछित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराया जाना पाया गया है, ऐसे में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। अपील निर्णय की प्रति अपीलान्ट को भी प्रेषित की जावें।

¼Mk0 jkts’k 'kek½
fMohtuy dfe’uj]
tks/kiqj